

**Duplicate Copy**

26-Jun-2021

**आदेश**

तिथि

May 25 2021

आदेश पर की  
गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा तिलकरायडीह थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
14	196	0 एकड़, 3.44 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
1. हाजी अली अन्सारी 2. नासिरुददीन अन्सारी	पिता	स्व० हाजी हबीब मियाँ
3. श्री सुमीत कुमार सिंह	पिता	श्री हरेंद्र प्रसाद सिंह

है जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या 1515 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरियत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
इसुक मियां मकबुल मियां वो सेरात मियां वो अब्दुल जलिल मियां	पिता	नेवाजी मियां
कुरावान अंसारी वो मुसलीम अंसरी वो रामजान अंसारी वो राजाक अंसरी	पिता	हजरत मियां
वो. मु. दुलाली बीबी	पिता	हाजरात मियां
सहीदन बिबि वो आल्ही बीबी	पिता	हाजरात मियां
मु. अमीना बीबी	पिता	सेरात मियां
राहमन मियां वो राम जान मियां वो रफीक मियां	पिता	रसल्ली मियां
खेवाली मियां	पिता	सुफल मियां
फाते महमद अंसारी वो अली हुसैन अंसरी वो नासीर अंसाअरी	पिता	हबीब मियां
सिली बीबी वो हमीदान बीबी	पिता	हबीब मियां
महमद हुसैन अंसारी	पिता	जुमाय मियां
सालीमन बीबी	पिता	जुमाय मियां

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में उक्त नामान्तरण वाद को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान **10रुपये**

स्वीकृत

किया जाता है।

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

RAMJI VERMA

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

